



राजस्थान सरकार कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग

क्रमांक. एफ.3(15)/Legal/F&B/2020/ उ०।

दिनांक: 24-05-2020

आदेश

राज्य में COVID-19 की रोकथाम हेतु सभी पंजीकृत कारखानों में कर्मकारों की आवश्यकता को कम करने के लिए काम के घंटों को "8 घंटे प्रति दिन" से बढ़ाकर " 12 घंटे प्रति दिन " करने की अनुमित देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत वयस्क कर्मकारों के कार्य समय के प्रावधानों में आदेश क्रमांक. एफ.3(15)/Legal/F&B/2020/226 दिनांक 24-04-2020 द्वारा छूट दी गई है।

वर्तमान में कोरोना महामारी के दौरान:-

- लगभग सभी कारखानें संचालित किये जा रहे है।
- श्रमिको का आवागमन भी चालू हो गया है एवं पास की आवश्यकता नहीं है।
- सार्वजनिक परिवहन भी कई इलाकों जैसे ग्रीन, ओरेंज ज़ोन आदि में चालू हो गया है।
- भारत सरकार /राजस्थान सरकार द्वारा COVID-19 के बचाव हेतु दिए गए निर्देशों/गाइडलाइन जैसे सामाजिक दूरी की पालना, मास्क पहनकर कार्य करना आदि की पालना कारखाना प्रबंधन एवं वहा कार्यरत श्रमिको द्वारा की जा रही है।
- श्रमिको को COVID-19 के प्रभावों एवं उसके बचाव की पूर्ण जानकारी हो चुकी है। वर्तमान में स्थिती नियंत्रण में है एवं सामान्य की और अग्रसर हो रही हैं।

उक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुये पूर्व में जारी आदेश क्रमांक. एफ.3(15)/Legal/F&B/2020/188 दिनांक 11-04-2020 एवं आदेश क्रमांक. एफ.3(15)/Legal/F&B/2020/226 दिनांक 24-04-2020 को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाता है।

(डॉ. नीरज कुमार पवन)

सचिव श्रम, रीजगार, कौशल एवं उद्यमिता, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित को जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि:-

- 1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य श्रम मंत्री, राजस्थान सरकार।
- 2. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3. निजी सहायक, श्रम आयुक्त, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4. सभी क्षेत्रीय अधिकारी और प्रोग्रामर, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग।

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स राजस्थान, जयप्र।





Government of Rajasthan Factories & Boilers Inspection Department

No.. F.3 (15) / Legal / F & B / 2020 / 3이

Date:

24-05-2020

Orde

To facilitate the Registered Factories under the Factories Act, 1948 during COVID-19 in the state for the purpose of extending working hours from "8 hours per day" to "12 hours per day" and to reduce the requirement of workers in all registered factories, the State Government has exempted the provisions of Working Hours of Adults Workers under the Factories Act, 1948 by order no. F.3 (15)/Legal/F&B/2020/188 dated 11-04-2020 and order no. F.3(15)/Legal/F&B/2020/226 dated 24-04-2020.

During COVID-19 at present: -

- Maximum factories have been started.
- Workers movement has been started and pass for travel is not required.
- Public transport has started in most of area such as Green, Orange Zone etc.
- The instructions/guidelines issued by the GOI/ GOR to the control of COVID-19 like social distancing, wearing masks etc. are being ensured by the factory management and the workers.
- Workers are fully aware of the effects of COVID-19 and its control measures.
 Currently the situation is under control and progressing toward normalcy.

In view of the above points, the order no. F.3(15)/Legal/F&B/2020/188 dated 11-04-2020 and order no. F.3 (15)/Legal/F&B/2020/226 dated 24-04-2020 issued earlier is withdrawn with immediate effect.

(Dr. Niraj Kumar Pawan)

Secretary Łabour, Employment, Skill & Entrepreneurship, Factories & Boilers Inspection Rajasthan, Jaipur

Copy to following for information and necessary action:

- 1. SA to Hon'ble State Labour Minister, GoR.
- 2. PS to Secretary, Labour & Employment, GoR, Rajasthan. Jaipur.
- 3. PS to Labour Commissioner, GoR, Jaipur.
- 4. All Area officer and Programmer, Factories & Boilers Inspection Department.

Chief Inspector Factories & Boilers,

Rajasthan, Jaipur.